

वित्तीय स्वीकृति (2017-18)

संख्या-2/2017/एस0ई0-155(2)/दस-17-बीमा-1/2016

प्रेषक,

राज रतन,  
उप सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
उ0प्र0 राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय,  
विकासदीप, 22 स्टेशन रोड, लखनऊ।

वित्त (सेवार्यें) अनुभाग-1

लखनऊ दिनांक 03 अप्रैल, 2017

**विषय:- अनुदान संख्या-66 के अंतर्गत सामूहिक बीमा निदेशालय के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्रथम पांच माह (अप्रैल से अगस्त 2017 तक) के लिये लेखा अनुदान की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1 के पत्र संख्या-3/2017/बी-1-348/दस-2017-231/2017 दिनांक 20 मार्च, 2017 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017 दिनांक 02 जनवरी, 2017 (प्रति संलग्न) के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल आय-व्ययक के अनुदान संख्या-66 के लेखाशीर्षक-"2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के अन्तर्गत प्रावधानित धनराशि रू0 210148 हजार में से वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्रथम पांच माह (अप्रैल से अगस्त 2017 तक) के लिये लेखा अनुदान रू0 86620 हजार (रूपया आठ करोड छछठ लाख बीस हजार मात्र) जिसका विवरण निम्नवत् है, उपरोक्त सन्दर्भित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 02-01-2017 में उल्लिखित प्रतिबन्धों/निर्देशों के अधीन वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय के लिए आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

लेखाशीर्षक

"2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण  
60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम  
105-सरकारी कर्मचारी बीमा योजना  
03-कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

धनराशि (हजार रुपये में)

मानक मद संख्या व मद का नाम	वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिये आय-व्ययक अनुमान	वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्रथम पांच माहों (अप्रैल से अगस्त 2017 तक) के लिये स्वीकृत लेखा अनुदान
1	2	3
01- वेतन	37460	15608
02- मजदूरी	40	17
03- मंहगाई भत्ता	1873	780
04- यात्रा व्यय	150	63
05- स्थानान्तरण यात्रा व्यय	100	42
06- अन्य भत्ते	2000	833
07- मानदेय	20	8
08- कार्यालय व्यय	350	146
09- विद्युत देय	550	229
10- जलकर/जल प्रभार	45	19
11- लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	150	63
12- कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	135	56
13- टेलीफोन पर व्यय	150	63
14- मोटर गाड़ियों का क्रय	--	--
15- गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	500	208
16- व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	800	333
17- किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व।	100	42
26- मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	1	.42
29- अनुरक्षण	125	52
42- अन्य व्यय (मतदेय) (भारित)	15	6
44- प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	20	8
45- अवकाश यात्रा व्यय	40	17
46- कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्ट वेयर का क्रय	100	42
47- कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	150	62
49- चिकित्सा व्यय	1500	625
51- वर्दी व्यय	15	6
52- पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	2259	--
योग	48648	19328

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

धनराशि (हजार रुपये में)

मानक मद संख्या व मद का नाम	वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिये आय-व्ययक अनुमान	वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्रथम पांच माहो (अप्रैल से अगस्त 2017 तक) के लिये स्वीकृत लेखा अनुदान
1	2	3
"2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, 105-सरकारी कर्मचारी बीमा योजना, 05-बीमा निधि में हुई हानि की प्रतिपूर्ति, 42-अन्य व्यय	161500	67292
योग 05	161500	67292
मद संख्या- पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय) धनराशि रू0 210148-2259 को घटाते हुये कुल योग भारित	207889 --	86620 --

2- मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अतः स्वीकृत धनराशि व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों व नवीनतम शासनादेश संख्या-सीए-934/दस-2008-मित-1/2004, दिनांक 02 सितम्बर, 2008 का विशेष रूप से पालन किया जाय ताकि अपव्यय को रोका जा सके।

3- मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान के अंतर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4- उपर्युक्त के अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि जहां भी नियमों के अंतर्गत शासन की स्वीकृति आवश्यक हो, धनराशि व्यय करने से पूर्व अपेक्षित स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(राज रतन)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-2/2017/एस0ई0-155(3)/दस-17, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार ( लेखा एवं हकदारी )- प्रथम/द्वितीय, 30प्र0 इलाहाबाद।
- 2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-प्रथम/द्वितीय, 30प्र0, इलाहाबाद।
- 3- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, 30प्र0, लखनऊ।
- 5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राज रतन)

उप सचिव

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।